तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4879/2006/नागौर भंवरलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितिः–

श्री एस.पी.सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री शिवप्रसाद सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता

–आदेश–

दिनांक 21–08–2025

हस्तगत् अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 29/2002 बउनवानी भंवरलाल बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 25–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथन किया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, लांडनँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–06–2006 की प्रति एवं अपीलीय न्यायालय की पत्रावली उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में पत्रावली के गुणावगुण पर बहस सुनी जावे। जिस पर विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नारवा कलां के खेत खसरा नम्बर 665 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिस पर अपीलार्थी का सवंत् 2036 से निरन्तर संवत् 2050 तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त को संरक्षित करने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लांडनू के समक्ष नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के नियमन की मांग की गई थी। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें आराजी जैर के नियमन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हुए प्रकरण को काबिल नियमन माना था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को आराजी जैर के नियमन के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे, परन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन का पात्र नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन अंगोर दर्ज है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि आवंटन हेतु तो प्रतिबन्धित हो सकती है परन्तु ऐसी भूमि के नियमन किये जाने के संबंध में कोई प्रतिबाधिता नहीं है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरीत जाकर अपीलार्थी के नियमन के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के निमयन के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की गई थी, परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विधिक स्थिति के विपरीत जाकर अपीलार्थी की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक तक काबिज काश्त है तथा आराजी जैर के बाबत् आज दिनांक को भी नियमन की राशि जमा करवाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4879/2006/नागौर भंवरलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

हेतु तैयार है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलार्थी के निमयन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि को अपीलार्थी के पक्ष में नियमन करने के आदेश प्रदान किये जाये।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन अंगौर दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर का नियमन/आवंटन किसी अन्य निजी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलार्थी के आवंटन प्रार्थना पत्र एवं अपील को खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नारवा कलां के खेत खसरा नम्बर 665 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि के बाबत् अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नियमानुसार संबंधित पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के मद संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 665 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन अंगोर है जो नियमानुसार आवंटन नियमन के काबिल यदि है तो की जावे। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलार्थी के आवेदन को सार्वजनिक आपत्ति होने एवं किस्म अंगौर होने के आधार पर खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की गई है। प्रकरण में चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप गैर मुमकिन अंगौर रहा है तथा ऐसी भूमि के आवंटन/नियमन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रतिबाधित किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का आवंटन/नियमन अपीलार्थी के हक में नहीं किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अपील को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का आदेश दिनांक 25-04-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, लांडनूँ का आदेश दिनांक 07-06-2002 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दडिया)
सदस्य